

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
2-7-19	वकील वाडी उपय प्रतिकाडी १०००१० लागील हजम क कर सि लोक शास दुबई/राज्य कायदा प्रतिकाडी १०१ कडुशास्त्रे ही कातः प्रतिकाडी १०१ के खेळाक एक पांडीम कायदा कडु क कायदा लागी ही/ कायदा कायदे शाहादत दिनांक ३-७-१९ को प्रेश हो
3-7-19	वकील वाडी उपय शाहादत कायदे आदय-पुज, अमजलाल पुत्र कोटका, हाडेडि पुत्र अराका, मालीका पुत्र गंगा वरस पेडा किरी लई शाहेल कसल/केच/केच/शाहादत वाडी ओर शाहादत केचगरी कायदा कायदे ही कातः शाहादत वाडी कायदा कायदा ही/ कायदा कायदे कायदा दिनांक ४/७/१९ को प्रेश हो
०६/०७/१९	पत्रावली पेश। वकील वाडी उप०। विधान क्षिधिवक्ता वाडी डाल प्रतिवादीगण। ता ४ के इकवालिपा जवाब के संदर्भ में दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किए गए व बर्कोल झुठोष दाना चिडी जाताने का निवेदन किया गया। पत्रावली वास्ते सादेशाच सि. २२/०७/१९ को प्रेश हो।
११/०७/१९	पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी उप०। पूर्व में वकील वाडी द्वारा किये गये निवेदन बखत मुताबिक अनुरोध दाग डिफ्री पर सगोर मबत किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, पेशाशुदा इकवालिपा जवाब का अवलोकन किया गया जिससे



ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
--------	--------------------------------------	--

वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायाद्वि में स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-

आदेश

तब ग्राम फतेहपुरा मोमियान प.ह. गौशूल का वास तहसील खण्डेला अवास्थित कृषि सूची ख. नं. 392, 393, 394, 404 ता 406 एका 4.39.00 हे. में वादी को <sup>1/3 भाग का 37/72 भाग का अर्थात् लक्ष्मण में</sup> हिस्सा का खतदार काश्तदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी गण सं. 1 ता 8/मृतक ता. चन्दे पुत्र मु. देवकिशन का नाम हजफ किया जाता है कि हिस्सा की खतदारी बदस्तूर रहेगी। अतानुसार राजस्व रेकार्ड में उमल दायर हो। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल शुमाह होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तहसील दाखिल दस्त हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/2/19

उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

